[30/7/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 1368]

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय

क्रमांक 873 / एफ 5 / 1 / 2 / 0167 / 2024 / 17(2) भोपाल, दिनांक 09 / 07 / 2025

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय,
भोपाल।

विषयः— विधानसभा सत्र दिसम्बर, 2024 में प्राप्त अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1302, द्वारा श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, माननीय सदस्य विधानसभा के परिशिष्ट भेजने के संबंध में।

=00=

विधानसभा सत्र दिसम्बर, 2024 में प्राप्त अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1302, द्वारा श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, माननीय सदस्य विधानसभा सचिवालय को ऑनलाईन के माध्यम से प्रेषित की चुकी है। प्रश्न में लगने वाले परिशिष्ट की 04 प्रतियां (पेन ड्राईव) में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

9.7.2025

(बबीता वसुनिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांक 874 / एफ 5 / 1 / 2 / 0167 / 2024 / 55—1 भोपाल, दिनांक 09 / 07 / 2025

प्रतिलिपिः—

1. अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल।

की ओर उत्तर की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

9.7.2025

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **09/12/2024**

वर्ग : 3 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **18/12/2024** विभाग का नाम : **लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा**

विषय : **मध्यप्रदेशप पैरामेडिकल काउंसिल द्वाराप्रदेश के शासकीय / अशासकीय कॉलेजों को दी गइ र्मान्यता से संबंधित जानकारी बावत् ।**

(**अतारांकित** प्रश्न क्रमांक : **1302**) **श्रीहेमंत सत्यदेव कटारे**

क्या **उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउन्सिल द्वारा सत्र 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में मध्यप्रदेश के समस्त कॉलेजों को दी गई मान्यता से संबंधित जानकारी और मान्यता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाये। (ख) सत्र 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाये। (ग) मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउन्सिल द्वारा सत्र 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के पैरामेडिकल कॉलेजों से संबंधित सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेजों की निरीक्षण की रिपोर्ट व निरीक्षण के दौरान के समस्त फोटोग्राफ की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाये। (घ) सत्र 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता हेतु जमा कराये गये सभी दस्तावेज और रिकार्डस् की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाये। पैरामेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिये पैरामेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाये। (घ) मध्यप्रदेश के सत्र 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के समस्त पैरामेडिकल कॉलेजों के भवन और अस्पताल की जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाये। (ड.) मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउन्सिल की 2020 से 2024 तक की समस्त कमेटियों के सदस्यों की जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाये।

Reply By : PUBLIC HEALTH & FAMILY WELFARE | Digitally Sign Date : 09/07/2025 01:31:55 | Status: **Final**

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : प्रश्नांश ग घ, एवं घ की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** जानकारी वृहद स्वरूप की होने के कारण पेन ड्राईव में उपलब्ध कराई गई है जिसकी संक्षेपिका संलग्न है।

Attachment :

Verify Digital Signature

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग